

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

विधि पत्र सं. 31/2014  
 अपील सं. ... जिला जयपुर  
 CTO ME UET जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	---

28.4.2014

**श्री मदन लाल - सदस्य**  
**श्री अमर सिंह - सदस्य**


अपराज्यीय अधिवक्ता श्री एन के. बेद एवं अधार्थी वकील श्री एस के. जैन उपस्थित।


अपराज्यीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कर बोर्ड की पूर्व शर्तों द्वारा दिनांक 18-12-2013 को निर्णय पारित किया है जिसमें अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि आदेश पारित से 3 (तीन) माह के भीतर लम्बित अपील का निस्तारण किया जावे। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचित किया है कि अपील निष्पादन हेतु और समय की आवश्यकता है। कार्य अधिक होने की वजह से अपील निष्पादन नहीं हो। अतः समय और बढ़ाया जावे।

विद्यमान अधार्थी वकील ने कोई आपत्ति नहीं की।

हमने अपराज्यीय बटलर सुनी एवं विविध धार्मिक पत्र में दिये गये तथ्यों का अवलोकन किया। यह शर्तों द्वारा उचित समझती है कि अतः प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के यह लम्बित अपील का निस्तारण करने हेतु तीन (3) माह का समय और दिया जाना उचित प्रतीत है। इस अधि के दौरान पूर्व में दिया गया स्पष्टता भी जारी रहेगा।

फलतः उपरोक्तानुसार विविध धार्मिक पत्र स्वीकार किया जाता है।

  
 सदस्य  
 राजस्थान कर बोर्ड  
 अजमेर

  
 सदस्य  
 राजस्थान कर बोर्ड  
 अजमेर